UPRB010020422025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट)/ चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश रायबरेली
पीठासीन अधिकारी– (अमित कुमार पाण्डे), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) –** UP06246
दाण्डिक निगरानी सं०-131/2025

आनन्द बहादुर सिंह उम्र 49 वर्ष पुत्र हौसला सिंह निवासी ग्राम मीर मीरान पुर उर्फ अल्हौरा परगना व तहसील डलमऊ, रायबरेली।

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1– जोगेंद्र सिंह उर्फ अमरेंद्र सिंह पुत्र शत्रोहन सिंह नि० ग्राम मीर मीरानपुर उर्फ अल्हौरा तहसील डलमऊ जिला रायबरेली
2– उ०प्र० राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रायबरेली।

....विपक्षीगण

निर्णय

1– उपजिला मजिस्ट्रेट डलमऊ रायबरेली द्वारा वाद सं०–1350/2023 आनंद बहादुर सिंह बनाम जोगेंद्र सिंह उर्फ अमरेंद्र सिंह अंतर्गत धारा–133 दं०प्र०सं० में पारित आदेश दिनांकित 20.03.2025 के विरूद्ध संदर्भित वाद के वादी आनंद बहादुर सिंह द्वारा यह निगरानी सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो दर्ज होने के उपरांत अंतरित होकर निस्तारण वास्ते इस न्यायालय में प्राप्त करायी गयी।

2– विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांकित 20.03.2025 के माध्यम से प्रभारी निरीक्षक कोतवाली डलमऊ को प्रथम पक्ष/वादी आनंद बहादुर सिंह द्वारा आम रास्ते पर ईंट रखकर व पिलर खड़ा कर जो रास्ता अवरूद्ध किया गया है उसे दो सप्ताह के अंदर हटवाये जाने के लिए निर्देशित किया गया है।

3– संक्षेप में निगरानीकर्ता का कथन है कि विपक्षी सं०–1 जोगेंद्र सिंह द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमण करने व पेड़ो को काटने का प्रयास करने पर निगरानीकर्ता के पिता हौसला सिंह ने सिविल वाद सं०–1660/2023 हौसला सिंह बनाम शिवघोरा सिंह एवं अमरेंद्र सिंह दिनांक 07.07.2023 को स्थाई निषेधाज्ञा हेतु सिविल जज (जू.डि) डलमऊ रायबरेली के समक्ष प्रस्तुत किया था। विपक्षी सं०–1 सिविल वाद में पक्षकार है और उसके द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। विपक्षी सं०–1 ने वास्तविक तथ्य छिपाते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–133 दं०प्र०सं० प्रस्तुत किया है। पूर्व में कभी भी निगरानीकर्ता की आवासीय भूमि में रास्ता कायम नहीं था। सिविल वाद लंबित रहते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.03.2025 विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करते हुए प्रश्नगत आदेश दिनांकित 20.03.2025 निरस्त किया जाये।

4– प्रतिपक्षी सं०–1 द्वारा लिखित आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने शिकायतकर्ता जोगेंद्र सिंह की शिकायत पर जांचोपरांत सशर्त आदेश अंतर्गत धारा–133 दं०प्र०सं० विरूद्ध आनंद बहादुर सिंह, अजय सिंह तथा रामजी पारित किया है लेकिन योजित निगरानी में शिकायतकर्ता सतेंद्र पुत्र राम मनोहर को पक्षकार नहीं बनाया गया है जो विधानतः जरूरी है। आवश्यक पक्ष को फरीक न बनाये जाने के अभाव में ऐसा पक्ष सुनवाई के अधिकार से वंचित हो जाता है। इस प्रकार

प्रश्नगत निगरानी संधारणीय नहीं है तथा असंयोजन के दोष से ग्रसित है। शिकायत तीन व्यक्तियों के विरूद्ध है जिन्होने आम रास्ते में अवरोध उत्पन्न किया है। अवरोध हटवाये जाने का आदेश भी सभी के विरूद्ध है लेकिन निगरानी केवल आनंद बहादुर सिंह की तरफ से दायर की गयी है। ऐसी स्थिति में अजय सिंह तथा राम जी को औपचारिक पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था जिसके अभाव में निगरानी दोषपूर्ण है तथा पोषणीय नहीं है। निगरानीकर्ता भूतकाल में दो बार ग्राम प्रधान रह चुके हैं तथा इनके पिता हौसला सिंह अमीन रह चुके हैं। हौसला सिंह तीन भाई हैं। इनका परिवार लंबा है और वे विस्ता–रवादी प्रकृति के व्यक्ति हैं। उन्होने जबरदस्ती आबादी के अंदर के आम रास्ते पर पक्की ईंटे लगाकर तथा पिलर खड़ा करके उसे अवरूद्ध कर दिया है जिससे आमजन का आवागमन बाधित हो गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश पूर्णतया विधिक एवं न्यायसंगत है। कथित आम रास्ता को जब अवरोधित किया जा रहा था तब शिकायत उच्चाधिकारियों से की गयी और जांच प्रारंभ हुई। तब इस आशंका से कि अव–रोध हटवा दिया जायेगा, बचाव में हौसला सिंह आदि ने दौरान जांच दीवानी वाद दायर कर दिया लेकिन उन्हें कोई अंतरिम राहत प्राप्त नही हुई है। वाद पत्र के साथ दाखिल नक्शा नजरी में कथित आम रास्ते को स्वीकार किया गया है। धारा–133 दं०प्र०सं० के अंतर्गत की गयी कार्यवाही एक स्वतंत्र एवं सरसरी कार्यवाही होती है जो जनहित में की जाती है और दीवानी वाद मात्र दायर कर देने से बाधित नहीं होती है। निगरानी बलहीन है, निरस्त किया जाये।

5– मैंने उभयपक्षकारो के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा निगरानी पत्रावली, प्रश्नगत आदेश एवं अवर न्यायालय की पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

6– निगरानी के निस्तारण के प्रायोजन से सुसंगत तथ्य यह है कि दिनांक 08.07.2023 को उपनिरीक्षक महेश कुमार थाना डलमऊ द्वारा जरिये थानाध्यक्ष डलमऊ इस आशय की आख्या अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा हमराही पुलिसकर्मियों के साथ ग्राम अलहौरा का भ्रमण करने पर पाया गया कि प्रथम पक्ष के आनंद बहादुर सिंह आदि व द्वितीय पक्ष के जोगेंद्र सिंह उर्फ अमरेंद्र सिंह के मध्य आने–जाने के रास्ते को अवरूद्ध कर देने को लेकर विवाद है। प्रथम पक्ष के आनंद बहादुर सिंह आदि द्वारा रास्ते में ईंट रखकर व पिलर खड़ा कर रास्ता बाधित किया गया है जिसे दौरान जांच शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु उभयपक्ष के विरूद्ध दिनांक 10.06.2023 को अंतर्गत धारा–107/116 दं०प्र०सं० की कार्यवाही की जा चुकी है। फिर भी दोनो पक्ष रास्ते को बंद करने व खोलने की बात को लेकर मारने–मरने पर उतारूं है। किसी भी समय संज्ञेय अपराध घटित कर शांति व्यवस्था भंग करने की प्रबल संभावना है। अतः आनंद बहादुर सिंह द्वारा सार्वजनिक रास्ते पर किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने के सम्बन्ध में अतिशीघ्र उन्हे तलब कर अतिक्रमण को हटाये जाने का आदेश पारित किया जाये जिससे आने–जाने वाले लोगों को असुविधा न हो सके।

7– तत्कालीन उपजिला मजिस्ट्रेट डलमऊ रायबरेली द्वारा थानाध्यक्ष डलमऊ की आख्या से सहमत होते हुए कि विपक्षी द्वारा सार्वजनिक मार्ग पर अवरोध उत्पन्न किया गया है, दिनांक 15.07.2023 को सशर्त आदेश अंतर्गत धारा–133(1) दं०प्र०सं० पारित करते हुए विपक्षी को सार्वजनिक रास्ते में किये गये अवरोध को तुरंत हटा देने के लिए या फिर दिनांक 28.07.2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर कारण दर्शित करने के लिए कि उक्त आदेश को क्यों प्रावर्तित न कराया जाये, निर्देशित किया गया।

8- उपरोक्त आदेश की तामीला उभयपक्षो पर करायी गयी। विपक्षी आनंद बहादुर सिंह अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित आए और उनके द्वारा इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया कि उभयपक्षो के मध्य रास्ते को लेकर विवाद है जिसके लिए सिविल जज (जू.डि.) डलमऊ कोर्ट सं०-18 रायबरेली में मूल वाद सं०-1660/2023 हौसला सिंह आदि द्वारा दिनांक 07.07.2023 को योजित किया गया है जो विचाराधीन है। दीवानी न्यायालय में योजित वाद पहले का है और धारा-133 दं०प्र०सं० का यह वाद बाद का है, इसलिए उपजिला मजिस्ट्रेट डलमऊ के न्यायालय में वाद संधारणीय नहीं है। वाद की विषय-वस्तु सिविल प्रकृति की है जिसका क्षेत्राधिकार मात्र सिविल न्यायालय को प्राप्त है। इन कारणोवश धारा-133(1) दं०प्र०सं० निरस्त किया जाये। विपक्षी आनंद बहादुर

सिंह द्वारा उपरोक्त प्रार्थनापत्र के साथ ही मूल वाद सं०-1660/2023 के वाद पत्र की छा–याप्रति प्रस्तुत किया गया।

9- विपक्षी का जवाब प्राप्त होने के उपरांत विद्वान उपजिलाधिकारी डलमऊ द्वारा अपने आदेश दिनांकित 31.01.2025 के माध्यम से नायब तहसीलदार डलमऊ को प्रकरण का स्थलीय निरीक्षण कर जांच आख्या मय नक्शा नजरी दाखिल करने के लिए निर्देशित किया गया।

10- उपजिलाधिकारी डलमऊ के आदेश पर नायब तहसीलदार डलमऊ द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल के साथ दिनांक 06.02.2025 को स्थलीय जांच की गयी और स्पाट मेमो एवं नक्शा नजरी तैयार करते हुए इस आशय की आख्या प्रस्तुत किया गया कि आबादी गाटा सं०-466 ग्राम मीर मीरानपुर उर्फ अल्हौरा में स्थित रास्ता इंटरलॉकिंग से कच्चा रास्ता से होते हुए चकमार्ग सं०-595 में मिलता है परंतु उस इंटरलाकिंग के बाद झाड़ीदार कच्चा रास्ता बाधित है जिसमें आनंद बहादुर सिंह का कब्जा है, ईंट आदि रखकर अंश भाग पर बाधित किया गया है जिसे नियमानुसार खोलने पर आवागमन सुचारू रूप से हो सकता है।

11- नायब तहसीलदार की स्थलीय जांच आख्या प्राप्त होने के बाद विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 20.03.2025 को यह निष्कर्ष अभिलिखित करते हुए कि आनंद बहादुर सिंह पुत्र हौसला सिंह द्वारा रास्ते में ईंट रखकर व पिलर खड़ा कर जो रास्ता बाधित किया गया है उससे गांव के जनमानस का आवागमन विधि विरूद्ध तरीके से बाधित किया गया है। जनहित को दृष्टिगत रखते हुए अवरूद्ध किये गये रास्ते से ईंट व पिलर को हटवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, प्रश्नगत पारित करते हुए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली डलमऊ को रास्ते में आनंद बहादुर सिंह द्वारा किये गये अवरोध को तत्काल हटवाये जाने के लिए निर्देशित किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर यह निगरानी आनंद बहादुर सिंह द्वारा योजित किया गया है।

12– **दं०प्र०सं० की धारा–133** प्रावधानित करती है कि–

न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश–(1) जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट का या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट का, किसी पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट या अन्य इत्तिला प्राप्त होने पर और ऐसा साक्ष्य (यदि कोई) हो लेने पर, जैसा वह ठीक समझे, यह विचार है कि–

(क) "किसी लोक स्थान या किसी मार्ग, नदी या जलसरणी से, जो जनता द्वारा विधिपूर्वक उपयोग में लाई जाती है या लाई जा सकती है, कोई विधिविरूद्ध बाधा या न्यूसेंस हटाया जाना चाहिए"

तब ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसी बाधा या न्यूसेंस पैदा करने वाले या ऐसा व्यापार या उपजीविका चलाने वाले या किसी ऐसे माल या पण्य वस्तु को रखने वाले या ऐसे भवन, तम्बू, संरचना, पदार्थ, तालाब, कुएं या उत्खात का स्वामित्व या कब्जा या नियंत्रण रखने वाले या ऐसे जीवजंतु या वृक्ष का स्वामित्व या कब्जा रखने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हुए सशर्त आदेश दे सकता है कि उतने समय के अंदर, जितना उस आदेश में नियत किया जायेगा, वह–

1) ऐसी बाधा या न्यूसेंस को हटा दे,

अथवा यदि वह ऐसा करने में आपत्ति करता है तो वह स्वयं उसके समक्ष या उसके अधीनस्थ किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस समय और स्थान पर, जो उस आदेश द्वारा नियत किया जायेगा, हाजिर हो और उसमें इसके पश्चात् उपबंधित प्रकार से कारण दर्शित करे कि उस आदेश को अंतिम क्यों न कर दिया जाये।

13– **धारा–137 दं०प्र०सं० के अनुसार–** जहाँ लोक अधिकार के अस्तित्व से इन्कार किया जाता है, वहाँ प्रक्रिया – (1) जहाँ किसी मार्ग, नदी, जलसरणी या स्थान के उपयोग में जनता को होने वाली बाधा, न्यूसेन्स या खतरे का निवारण करने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश धारा 133 के अधीन किया जाता है, वहाँ मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के जिसके विरुद्ध वह आदेश किया गया है अपने समक्ष हाजिर होने पर, उससे प्रश्न करेगा कि क्या वह उस मार्ग, नदी, जलसरणी या स्थान के बारे में किसी लोक अधिकार के

अस्तित्व से इन्कार करता है और यदि वह ऐसा करता है तो मजिस्ट्रेट धारा 138 के अधीन कार्यवाही करने के पहले उस बात की जांच करेगा।
(2) यदि ऐसी जांच में मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि ऐसे इन्कार के समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य है तो वह कार्यवाही को तब तक के लिए रोक देगा जब तक ऐसे अधिकार के अस्तित्व का मामला सक्षम न्यायालय द्वारा विनिश्चित नहीं कर दिया जाता है, और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है तो वह धारा 138 के अनुसार कार्यवाही करेगा।
(3) मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा (1) के अधीन प्रश्न किए जाने पर, जो व्यक्ति उसमें निर्दिष्ट प्रकार के लोक अधिकार के अस्तित्व से इन्कार नहीं करता है या ऐसा इन्कार करने पर उसके समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य देने में असफल रहता है उसे पश्चात्वर्ती कार्यवाहियों में ऐसा कोई इन्कार नहीं करने दिया जाएगा।
14– **धारा–138 दं०प्र०सं० के अनुसार–** जहाँ वह कारण दर्शित करने के लिए हाजिर है, वहाँ प्रक्रिया (1) यदि वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा 133 के अधीन आदेश दिया गया है, हाजिर है और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करता है तो मजिस्ट्रेट उस मामले में उस प्रकार साक्ष्य लेगा जैसे समन मामले में लिया जाता है।
(2) यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि आदेश या तो जैसा मूलतः किया गया था उस रूप में या ऐसे परिवर्तन के साथ, जिसे वह आवश्यक समझे, युक्तियुक्त और उचित है तो वह आदेश, यथास्थिति, परिवर्तन के बिना या ऐसे परिवर्तन के सहित अन्तिम कर दिया जाएगा।
(3) यदि मजिस्ट्रेट का ऐसा समाधान नहीं होता है तो उस मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी
15– **धारा–133 दं०प्र०सं०** का उद्येश्य लोक न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश देने का उपबंध प्रस्तुत करना है। धारा–133(1) दं०प्र०सं० के अंतर्गत कार्यवाही तभी की जा सकती है जब लोक अधिकारो का अतिक्रमण किया गया हो। धारा–133 दं०प्र०सं० के प्रावधानों से स्पष्ट है कि जब कोई पुलिस रिपोर्ट अथवा कोई अन्य सूचना मिलती है, तो समुचित कार्यपालक मजिस्ट्रेट धारा–133(1) दं०प्र०सं० में उल्लिखित उन परिस्थितियों में अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। धारा–133(1) के तहत जारी सशर्त आदेश के अनुपालन में यदि वह व्यक्ति जिसके विरूद्ध आदेश पारित किया गया है, सम्बंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है और धारा–137 दं०प्र०सं० के अंतर्गत लोक अधिकार के अस्तित्व से इंकार करता है, तो मजिस्ट्रेट इस बात की जांच करेगा और यदि ऐसे इंकार के समर्थन में विश्वसनीय साक्ष्य पाता है तो वह कार्यवाही को तब तक के लिए रोक देगा जब तक ऐसे अधिकार के अस्तित्व का मामला सक्षम न्यायालय द्वारा विनिश्चित नही कर दिया जाता है और यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसा कोई साक्ष्य नही है तो वह धारा–138 दं०प्र०सं० के अनुसार कार्यवाही करेगा। धारा–138 के अंतर्गत सक्षम मजिस्ट्रेट साक्ष्य प्राप्त करेगा और साक्ष्य उपरांत यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसके द्वारा पारित सशर्त आदेश उचित है तो वह उक्त आदेश को अंतिम कर देगा परंतु यदि मजिस्ट्रेट का ऐसा समाधान नही होता है तो वह मामले में आगे कोई कार्यवाही नही करेगा।
16- प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा-133 दं०प्र०सं० उपनिरीक्षक थाना डलमऊ की आख्या दिनांकित 08.07.2023 के आधार पर योजित किया गया है। उपनिरीक्षक थाना डलमऊ की आख्या अनुसार आनंद बहादुर सिंह आदि द्वारा आम रास्ते पर ईंट रखकर व पिलर खड़ा कर रास्ता बाधित किया गया है जिसकी वजह से उभयपक्षकारो के मध्य विवाद है और दोनो पक्षो के मध्य शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा-107/116 दं०प्र०सं० की कार्यवाही भी की जा चुकी है। उपनिरीक्षक द्वारा प्रेषित आख्या के आलोक में विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 15.07.2023 को प्रारंभिक सशर्त आदेश अंतर्गत धारा-133(1) दं०प्र०सं० प्रस्तुत करते हुए निगरानीकर्ता आनंद बहादुर सिंह को सार्वजनिक रास्ते में किये गये अवरोध को हटा लेने के लिए निर्देशित किया गया। अन्यथा की दृष्टि में न्यायालय में उपस्थित होकर कारण दर्शित करने के लिए कि क्यों न आदेश को अंतिम कर दिया जाये, निर्देशित किया गया।

17- सशर्त आदेश अंतर्गत धारा-133(1) दं०प्र०सं० की तामीला उभयपक्षकारो पर कराया गया। आनंद बहादुर सिंह अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आए और उनके द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया परंतु उक्त जवाब में मात्र दीवानी न्यायालय में विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में वाद विचाराधीन होने के आधार पर धारा-133 (1) दं०प्र०सं० की कार्यवाही को चुनौती दिया गया। निगरानीकर्ता आनंद बहादुर सिंह द्वारा अपने लिखित जवाब में आम रास्ते को अवरोध किये जाने के तथ्य को न तो स्वीकार किया गया और न ही स्पष्ट रूप से इंकार किया गया। आनंद बहादुर सिंह द्वारा अपने जवाब के साथ सिविल न्यायालय में दायर मूल वाद सं०-1660/2023 के वाद पत्र की छायाप्रति मय नक्शा नजरी प्रस्तुत किया गया है। निगरानीकर्ता का इस तर्क में कोई बल नही है कि सिविल न्यायालय में दीवानी वाद के विचाराधीन होने मात्र से धारा-133 दं०प्र०सं० की कार्यवाही नही चलाई जा सकती है। **विधि व्यवस्था राकेश कुमार उर्फ लाल बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. 1994 सी.आर.एल.जे. 289** में प्रतिपादित किया गया है कि विषयगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में दीवानी वाद के विचाराधीन होने के बावजूद धारा-133 दं०प्र०सं० के अंतर्गत प्रचलित कार्यवाही पोषणीय है। श्रीमती कमर जहां व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. दाण्डिक प्रकीर्णवाद सं०-2877/1996 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि धारा-133 दं०प्र०सं० की कार्यवाही दीवानी कार्यवाही से पृथक एवं स्वतंत्र है। दीवानी वाद के विचाराधीन होने मात्र के आधार पर धारा-133 दं०प्र०सं० के तहत प्रचलित कार्यवाही को बाधित होना नही माना नही जा सकता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जो दीवानी वाद विचाराधीन होना बताया गया है, उस दीवानी वाद में विषयगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई निषेधाज्ञा आदेश पारित नही किया गया है और न ही ऐसा कोई आदेश निगरानीकर्ता द्वारा दाखिल किया गया है। अतः मात्र दीवानी वाद के विचाराधीन होने के आधार पर धारा-133 दं०प्र०सं० की संपूर्ण कार्यवाही को बाधित होना नही माना जा सकता है।

18- उपरोक्त एक मात्र आपत्ति के अलावा निगरानीकर्ता द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष अन्य कोई आपत्ति प्रस्तुत नही किया गया है। निगरानी में भी निगरानीकर्ता द्वारा एक मात्र यही आधार लिया गया है जो कि जैसाकि ऊपर वर्णित किया गया है, बलहीन है।

19- इस प्रकरण में विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा स्थलीय जांच नायब तहसीलदार से करायी गयी। जांच आख्या मय स्पाट मेमो एवं नक्शा नजरी अवर न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। नायब तहसीलदार की आख्या अनुसार श्री अमरेंद्र बहादुर सिंह द्वारा आम रास्ते पर ईंट व पिलर रखकर अवरोध उत्पन्न किया गया है। इस जांच आख्या को भी अवर न्यायालय के समक्ष निगरानीकर्ता द्वारा कोई चुनौती नही दिया गया है। यह उल्लिखित करना भी प्रासांगिक होगा कि निगरानीकर्ता द्वारा वाद पत्र की छायाप्रति के साथ जो नक्शा नजरी प्रस्तुत किया गया है, उसमें भी विवादित भूमि के बीचोबीच रास्ता स्थित होना दर्शाया है और इस रास्ते पर सीमेंटेड पिलर व निर्माण करना भी बताया गया है। इस प्रकार अवर न्यायालय के समक्ष उपलब्ध साक्ष्य से भी विदित होता है कि अमरेंद्र बहादुर सिंह द्वारा आम रास्ते पर निर्माण कर अवरोध उत्पन्न किया गया है। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य सामग्रियों पर सम्यक रूप से विचारोपरांत प्रारंभिक आदेश अंतर्गत धारा-133(1) दं०प्र०सं० को अंतिम करते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है।

20- प्रश्नगत आदेश दिनांकित 20.03.2025 में कोई विधि विरूद्धता, नियम प्रतिकूलता अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं है। निगरानी बलहीन है, निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

दाण्डिक निगरानी सं०-131/2025 आनंद बहादुर सिंह बनाम जोगेंद्र सिंह उर्फ अमरेंद्र सिंह आदि निरस्त की जाती है।

वाद सं०-1350/2023 आनंद बहादुर सिंह आदि बनाम जोगेंद्र सिंह उर्फ अमरेंद्र सिंह आदि अंतर्गत धारा-133 दं०प्र०सं० में पारित आदेश दिनांकित 20.03.2025 की पुष्टि की जाती है।

आदेश की प्रति के साथ अवर न्यायालय की पत्रावली वापस भेजी जाये।

दिनांक–11.05.2026

(अमित कुमार पाण्डे)
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट)/
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा दिनांकित व हस्ताक्षरित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 11.05.2026

(अमित कुमार पाण्डे)
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट)/
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।

Digitally signed by Amit Kumar Pande
Date: 2026.05.12 08:33:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court,
Raebareli